

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12/कारा) विभाग

क्रमांक : प.1(2)गृह-12/कारा/2018

जयपुर, दिनांक : 20-06-2018

आदेश

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14-06-2018 में वर्ष 2013-14 की रिव्यू डीपीसी में की गयी अभिशंका के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में अधीक्षक ग्रेड-1 से निम्नांकित अधिकारी का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में उपमहानिरीक्षक कारागार के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1.	श्री विक्रम सिंह कर्णावत	2013-2014


श्री कर्णावत वर्तमान में उप महानिरीक्षक कारागार के पद पर जोधपुर में पदस्थापित है, अतः श्री कर्णावत वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

श्री कर्णावत को रिव्यू डीपीसी के चयन वर्ष 2013-14 में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से उप महानिरीक्षक कारागार के पद पर कार्यग्रहण की वास्तविक तिथि तक नोशनल लाभ देय होगा एवं उप महानिरीक्षक कारागार के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति का वास्तविक लाभ देय होगा।

(कैलाश चन्द)  
शासन उप सचिव,  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह एवं कारागार मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग।
8. पुलिस आयुक्त, जोधपुर/जयपुर
9. संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज .....
10. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक .....
11. सम्बन्धित अधिकारी .....
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव,  
गृह (ग्रुप-12) विभाग